न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रतन कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 77/2023 – निगरानी

उनवान प्रकरण

1. डिम्पल सुवालका पत्नि मुकेश कुमार सुवालका निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा
2. मुकेश कुमार आत्मज जगदीश चन्द्र सुवालका निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा

–निगराकार

बनाम

1. प्रेम देवी पत्नि भैरू लाल खटीक निवासी मेजा डेम रोड, पांसल तहसील व जिला भीलवाडा
2. ग्राम पंचायत पासल, पंचायत समिति, सुवाणा जिला भीलवाडा

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम ग्राम पंचायत पांसल पं. स. सुवाणा की पत्रावली कमांक 261/दिनांक 19.07.1996 की पालना में दिनांक 12.05.1996 को जारी पट्टे को निरस्त कराने बाबत्

उपस्थित –

1. श्री अम्बालाल कुमावत अधिवक्ता – निगराकार की ओर से

निर्णय

दिनांक 02.05.2024

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि तत्कालिन ग्राम पंचायत पांसल द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के नाम विधि विरुद्व एक बापी पट्टा जरिये पत्रावली संख्या 261 दिनांक 19.07.1996 की पालना में दिनांक 12.05.1996 को जारी किया गया, जिसकी पत्रावली निर्मित नही की गई और ना ही मौके पर पडौसों को नपती का कोई भुखण्ड उपलब्ध है, बल्कि पटटे का भू–भाग आम रास्ता होकर रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग हो रहा हैं। वर्तमान में उक्त आम रास्ते के पास में निगराकार का खरीदशुदा भुखण्ड हैं, जिसका पटटा पंचायत ने जारी कर रखा हैं, जिससे निगराकार ने क्रय कर रखा हैं। उक्त बापी पटटे से सम्बधित रेकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं हैं, बिना रेकार्ड के नियम विरूद्व मनमकसूद तरीके से बापी पटटा जारी किया गया, और ना ही पंचायत नियमानुसार शुल्क राशि जमा की हैं, जिसके भी कोई रसीद नम्बर उक्त पटटे पर अंकित नहीं हैं एंव पंचायत ने पत्रावली कमांक 261 भी गलत अकित कर रखे हैं एवं उक्त पडौसो का कोई भुखण्ड मौके पर उपलब्ध नही हैं और मौके पर आम रास्ता है, आम रास्ते पर नियम विरूद्व तरीके से पंचायत ने पटटा जारी किया

गज अंकित हैं, जबकि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत किसी ग्राम पंचायत को अधिकतम 300 वर्गगज अर्थात 2700 वर्गफीट तक के पटटे जारी किये जाने का क्षैत्राधिकार नियमानुसार पटटा जारी करने का अधिकार हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत ने क्षैत्राधिकार से परे जाकर पंचायतीराज नियमों के विरूद्व पटटा जारी किया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता हैं।

पत्रावली परीक्षण से जाहिर होता हैं कि पटटा किन नियमों के तहत जारी किया गया है, ऐसा कोई नियम पटटे पर अंकित नहीं हैं। इस प्रकार प्रश्नगत पटटा विधि सम्मत प्रतीत नही होता हैं।

निगराकार द्वारा उक्त प्रश्नगत पटटे के खारिज किये जाने के संबंध में लगाये गये आक्षेपों को निराधार साबित करने हेतु, गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा कोई पुष्ट व प्रमाणिक दस्तावेज/ साक्ष्य पेश नही किये गये। जिससे यह स्पष्ट होता हैं प्रश्नगत पटटा पंचायतीराज अधिनियमों के नियमों के विपरीत, विधि विरूद्व जारी किया गया हैं एवं इस प्रकार के विधि विरूद्व तरीके से जारी पटटे प्रारब्ध से ही शुन्य होकर खारिज होने योग्य हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रश्नगत पत्रावली कमांक 261 दिनांक 19.07.1996 पटटा दिनांक 12.05.1996 पूर्णरूपेण राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियमों के विरूद्व होने से खारिज किया जाना उचित ठहरता हैं। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत पांसल पंचायत समिति सुवाणा की पत्रावली संख्या 261 दिनांक 19.07.1996 पटटा दिनांक 12.05.1996 को राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के नियमों के विरूद्व होने से खारिज किया जाता हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत पांसल पंचायत समिति सुवाणा को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा